न्यायालय जिलाकलेक्टर, कोटा

पीठासीनअधिकारीः–डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –102/2023 (अपील)

GCMS No.2023/469

1. राधेश्याम पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी ग्राम चौसला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

––अपीलांट

बनाम

1. जतन बाई पत्नी भंवरलाल
2. फूलचन्द पुत्र भंवरलाल
3. छोटूलाल पुत्र भंवरलाल
4. राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल
5. राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल
6. बाबूलाल पुत्र भंवरलाल
7. कल्याण पुत्र कालूलाल जातियान मेघवाल
8. नन्दलाल पुत्र कान्हा
9. बजरंगलाल पुत्र नन्दलाल सत्यानारायण पुत्र नन्दलाल
10. बजरंगलाल पुत्र बालाराम
11. रंगलाल पुत्र बालाराम
12. हरीश पुत्र बालाराम
13. दुर्गालाल पुत्र गोपाल जातियान मीणा
14. मोहनलाल पुत्र किशनलाल
15. राजेन्द्र पुत्र राधाकिशन जातियान धाकड़ निवासीगण चौंसला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा–225 राज0टीनेन्सी एक्ट विरूद्व आदेश दिनांक 19.12.2019 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी मिसल नं0 1/2019 धारा 183–बी रा0टी0एक्ट

उपस्थित–

1. श्री अमित खारोलीवाल, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री हुकमचन्द जैन, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः–26.03.2024

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी ने प्रार्थी राधेश्याम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी के सम्बन्ध में मि0नं0 13/2022 में दिनांक 18.10.2022 को निर्णय पारित किया कि– " माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो व्यक्ति तथ्य छिपाकर न्यायालय में आता है अर्थात क्लीन हेण्ड न्यायालय में नही आता है वह सामान्यतः किसी सदभाविक अनुतोष का अधिकारी नहीं होता है । प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा भी तथ्य छिपाये गये है साथ ही साथ भूमि को प्रार्थी द्वारा ऋण की अदायगी नहीं करने के कारण कुर्क किया जाना, बैंक के अधीन होना तथा उक्त भूमि का सेल सर्टिफिकेट जारी होकर भूमि के बेचान की कार्यवाही जैरकार होना प्रकट होता है । ऐसी सूरत में प्रार्थी के द्वारा महज अनावश्यक सेल कार्यवाही को बाधित तथा ऋण की अदायगी नहीं करने के उपरान्त भी कुर्क संपत्ति पर वापिस कब्जा करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, ऐसा जाहिर आता है । अतः गुणावगुण के आधार पर प्रार्थ्ज्ञना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है ।

जिला कलक्टर
कोटा

2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 29.11.2022 को इस न्यायालय में पेश की गई है कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी आर.टी.एक्ट के तहत तहसीलदार रामगंजमण्डी के समक्ष पेश किया गया था जिसमें अपीलान्ट ने अपनी आराजी भूमि वाके ग्राम चौंसला पटवार हल्का हीरियाखेडी के खाता संख्या नया 243 व पुराना 216 के खसरा नं. 759 की रकबा 0.0500 हे0, खसरा नं. 760 की रकबा 0.0600 हे0, खसरा नं. 817 की रकबा 0.2000 हे0, खसरा नं. 818 की रकबा 0.0100 हे0, खसरा नं. 819 की रकबा 0.1600 हे0 पर रेस्पोडेन्ट द्वारा कब्जा होना बताया एवं रेस्पोडेन्ट को विवादित आराजी से बेदखल कर अपीलान्ट को पत्थरगढी के माध्यम से कब्जा दिलवाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 18.10.2022 को बिना तथ्यों पर गौर किये व बिना माइन्ड एप्लाई किये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री हुकमचन्द जैन का वकालतनामा पेश हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य नायब तहसीलदार चेचट के जरिये स्पष्ट रूप से आ गये थे कि उक्त आराजी अपीलान्ट के खाते दर्ज है व अन्य खातेदारान का कब्जा है बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व खारिज फरमा दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र कोटा सहकारी समिति बैंक लिमिटेड को पक्षकार बनाने हेतु रेस्पोडेन्ट ने जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उसका अपीलांट ने विरोध किया व यह तथ्य कभी स्पष्ट पूरे प्रकरण में नहीं हुआ कि उक्त जमीन बैंक द्वारा कब्जे में ली जा चुकी है या तहसीलदार द्वारा कब्जे में ली गयी है । उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई में बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया व जब बैंक ही उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं है व उसके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है तो किस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने सेल सर्टिफिकेट को आधार बनाते हुए उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जबकि ऐसा कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सक्षम अधिकारी द्वारा पेश नहीं किया गया साथ ही दूरभाष के जरिये तलब किये जाने का कोई प्रावधान विधि में नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के विरूद्व जाकर उक्त निर्णय पारित किया गया है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय को बैंक वसूली कराये जाने व इस सम्बन्ध में वसूली न होने पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं हटाया जाना प्रथम दष्टया अपनी शक्ति का दुरूपयोग दर्शाता है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि उक्त विवादित भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज है जो कि भूमि विकास बैंक में रहन है शेष तथ्य बिना आधार निर्णय में लिखी जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को गलत रूप से खारिज किया गया है व इस कारण उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है । अपीलान्ट द्वारा बैंक के विरूद्व कोई रिलीफ नहीं चाहा गया था ना ही उक्त प्रार्थना पत्र में बैंक पक्षकार है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्व जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किया है व उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है । पटवारी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि भूमि जो विवादित है वह अपीलान्ट के नाम है उस पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बिना तथ्यों को देखें व बिना विधि को जाने निरस्त कर दिया जो कि अपास्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2022 को अपास्त कर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर उक्त वर्णित भूमि से रेस्पोडेन्ट को बेदखल कर अपीलान्ट को पत्थरगढी के माध्यम से कब्जा दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया है कि अपीलांट का इस अपील को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि उक्त वादग्रस्त भूमि बैंक द्वारा कुर्क की जाकर सेल सर्टिफिकेट जारी किया जाने से इस भूमि का कब्जा अपीलांट प्राप्त करना चाहता है । इस बात का उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है इसमें कोई त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांटगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 18.10.2022 से प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने पर दिनांक 29.11.2022 को पेश की गई है, प्रथम अपील प्रस्तुत करने की मियाद 30 दिन है जबकि यह अपील 11 दिन विलम्ब से पेश की गई है, विलम्ब से अपील पेश करने के सम्बन्ध में लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी संलग्न नहीं किया है किन्तु मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा भी कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है । इस अपील का निस्तारण मियाद के बिन्दु पर नहीं कर गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना उचित समझते है ।

7. प्रार्थी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम चौंसला किता–8 की कुल रकबा 1.1600 हे0 भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा होना बताया जाकर अन्तर्गत धारा 183–बी रा0टी0एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि का अप्रार्थीगण से कब्जा दिलाने हेतु निवेदन किया जाने पर तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिस अनुसार प्रार्थी अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं0 809 व 820 प्रार्थी के खाते दर्ज रेकार्ड है परन्तु कब्जा काश्त अन्य व्यक्तियों का होना बताया है । मौके पर खसरा नम्बर 820 रकबा 0.29 हे0 पर पडोसी खातेदारान खसरा नं0 821 व 822 वाले संयुक्त रूप से शामलाती तौर पर खेती करते है तथा खसरा नं0 809 पर प्रार्थी का कब्जा न होकर अन्य पडौसी खातेदार खसरा नं0 806 वाले का कब्जा बताया गया है । साथ ही खसरा नम्बर 809 व 820 पर कभी भी प्रार्थी का कब्जा नहीं होना बताया है । तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा अपने निर्णय में यह भी तथ्य प्रकट किये है कि भूमि का सन 2016 में सेल सर्टिफिकेट जारी होकर भूमि प्रार्थी द्वारा ऋण अदायगी नहीं किये जाने के फलस्वरूप संबंधित बैंक के पक्ष में रहन दर्ज होकर बैंक के आधिपत्य में है । इस प्रकार हम यह पाते है कि प्रार्थी अपीलांट के द्वारा तथ्य छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । भूमि वर्तमान में बैंक द्वारा कुर्क की जाकर सेल सर्टिफिकेट जारी किया हुआ है, नियमानुसार उक्त भूमि बैंक के आधिपत्य में है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपीलांट उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । यदि प्रार्थी अपीलांट को कब्जा सुपुर्द किया जाता है तो बैंक की कार्यवाही बाधित होती है । प्रार्थी अपीलांट का अपील प्रस्तुत करने का उद्देश्य केवल बैंक कार्यवाही को बाधिक करना जाहिर आता है । अपीलांट द्वारा अपील में जो तथ्य प्रकट किये गये है उस आधार पर अपील स्वीकार योग्य नहीं है ।

8. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.10.2022 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

9. निर्णय आज दिनांक 26.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा